कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर (मध्य प्रदेश)

निविदा आमंत्रण सूचना

सिविल न्यायालय परिसर डबरा जिला ग्वालियर (म.प्र.) के लिए वाहन स्टेण्ड (संचालन हेतु) इच्छुक व्यक्ति/पंजीकृत संस्था से सीलबंद निविदाऐं आमंत्रित की जाती हैं। उक्त निविदा फॉर्म नजारत अनुभाग जिला न्यायालय ग्वालियर से कार्यालयीन समय पर दिनांक 11.06.2020 तक 250/– (दो सौ पचास) रुपये नगद जमा कर प्राप्त की जाकर उक्त निविदायें दिनांक 12.06.2020 तक जिला न्यायालय ग्वालियर के आवक–जावक शाखा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ग्वालियर के नाम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।

प्राप्त निविदाएं दिनांक 13.06.2020 को निविदाकर्ताओं/प्रतिनिधित्व की उपस्थिति में दोपहर 2.00 बजे जिला न्यायालय ग्वालियर में गठित समिति के समक्ष खोली जायेगीं। निविदा की शर्तें एवं सम्पूर्ण जानकारी म0प्र0 उच्च न्यायालय की बेवसाईट www.mphc.gov.in एवं जिला न्यायालय ग्वालियर की बेवसाईट www.districts.ecourts.gov.in/gwalior पर भी उपलब्ध है।

जिला एवं सत्र न्यायालय
ग्वालियर

वाहन स्टेण्ड संचालन हेतु निविदा फॉर्म

निविदाकर्ता का नाम : ....

पता : ....

....

मोबाईल नं. : ....

आधार कार्ड नं. : ....

पेन कार्ड नं. : ....

उक्त कार्य का अनुभव यदि हो तोः ....

संस्था का रजिस्ट्रेशन यदि हो तोः ....

वाहन स्टेण्ड हेतु निविदाकर्ता द्वाराः अपनी ओर से लगाई गई वार्षिक बोली राशि (उक्त बोली की राशि न्यूनतम 35000/– से कम नहीं होनी चाहिये) ....

आवश्यक शर्ते

1– यह अनुबंध स्वीकृति आदेश जारी होने की दिनांक से 01 वर्ष के लिये किया जावेगा। इस अनुबंध को 02 माह अग्रिम नोटिस देकर किसी भी पार्टी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। विभाग बिना कोई कारण बताये अनुबंध समाप्त कर सकता है।

2– वाहन स्टेण्ड की न्यूनतम वार्षिक शुल्क राशि 35000/– रूपये निर्धारित किया गया है। उससे कम की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

3– जिस निविदाकर्ता द्वारा निविदा में वार्षिक शुल्क सम्पूर्ण निविदाकर्ताओं से अधिक दर्शाया जायेगा एवं समस्त शर्ते स्वीकार होगीं उसकी निविदा पर सर्वप्रथम विचार किया जायेगा। निविदा स्वीकार होने पर निविदा की सम्पूर्ण राशि डीडी/चेक के माध्यम से एक मुश्त जमा की जावेगी।

4– वाहन स्टेण्ड की नवीन निविदा के संबंध में अमानत राशि हेतु 5000/– रूपये का डीडी/एफडीआर जिला न्यायाधीश महोदय ग्वालियर के नाम से निविदा फार्म के साथ प्रस्तुत की जाना होगी। जिस निविदाकर्ता की

S.O.

निविदा निरस्त होगी, उसकी अमानत राशि लोटा दी जायेगी।

5— वाहन स्टेण्ड परिसर में ऐसी कोई गतिविधि या कार्यवाही नहीं करेगें जिससे कि शासकीय सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति कारित हा. ेती हो।

6— ठेके का उपठेका नहीं दिया जा सकेगा।

7— वाहन स्टेण्ड का ठेका आवंटन के संबधं में एकमात्र विवेकाधिकार जिला न्यायाधीश ग्वालियर का होगा।

8— वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी। वाहन स्टेण्ड पर वाहन रखने के उपरान्त वाहन की चोरी होने की दशा में वाहन स्वामी को चोरी गये वाहन की राशि का भुगतान करना होगा।

9— किसी भी प्रकार की वाहन स्टेण्ड पर असमाजिक गतिविधियों में निविदाकर्ता के संलिप्त पाये जाने पर ठेका तत्काल निरस्त किया जावेगा एवं जमा अमानत/अनुज्ञा राशि राजसात कर ली जावेगी।

10— निविदाकर्ता द्वारा वाहन स्टेण्ड पर साफ—सफाई रखी जावेगी।

11— साईकिल/स्कूटर/दो पहिया/चार पहिया वाहन की पार्किंग शुल्क निम्नानुसार होगा :—

1.	साईकिल	—	5 रूपये
2.	स्कूटर/दो पहिया वाहन	—	10 रूपये
3.	चार पहिया वाहन	—	20 रूपये

12— ठेकेदार द्वारा वाहन स्वामी को वाहन रखने हेतु टोकन दिया जाना आवश्यक होगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर मय नाम

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
ग्वालियर